

न्यायालय- सतीश मणि त्रिपाठी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बनमनखी पूर्णिया

[CA.No-168/2026/](#) CIS No.-168/2026

मीना देवी बनाम बबली कुमारी एवं अन्य

	Order date	Order with signature of the Court	Office action taken with date
	<u>05/05 /26</u>	परिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह परिवाद सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। परिवादी के द्वारा अपने शपथ वयान में वर्णित किया गया है कि अभियुक्त गण से सुलह हो गया है जिस कारण से यह वाद नहीं लड़ना है। परिवादी उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे प्रतीत होता है की परिवादी को इस परिवाद में कोई भी अभिरुचि नहीं रह गयी है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त गण के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है अतः इस परिवाद को धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है की वह अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे। हस्ताक्षर- अति.मुख्य न्या. दंडा.बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	